कार्यालय आयुक्त एवं निबन्धक सहकारिता उत्तर प्रदेश

परिपत्रांक C-88/पी॰ए॰/अधिकोषण/लखनऊ: दिनाँक: अक्टूबर 26,2017

1. समस्त सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक,
   सहकारिता, उ0प्र0।
2. समस्त सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
   जिला सहकारी बैंक लि0, उ0प्र0।

आप अवगत ही हैं कि फसली ऋण मोचन योजना के अन्तर्गत प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों के नॉन एन0पी0ए0 से सम्बन्धित कृषक सदस्यों की ऋण माफी से सम्बन्धित धनराशि उनके सत्यापन, खातों की आडिट व आधार आदि के सत्यापन के उपरान्त उनके सम्बन्धित जिला सहकारी बैंको के माध्यम से उनके खाते में उपलब्ध करायी जा रही है।

उक्त परिप्रेक्ष्य में पूर्व में ही इस स्तर से आपको अनेकों बार यह निर्देश निर्गत किए गए है कि लाभार्थियों के चयन में पूर्ण सावधानी बरती जाए, जिससे कोई भी पात्र कृषक छूटने न पाए एवं कोई भी अपात्र कृषक उक्त योजना से लाभान्वित न होने पाए। योजना के पारदर्शी क्रियान्वयन हेतु यह प्रतीत हो रहा है कि उक्त योजना के अन्तर्गत पात्र कृषकों को लाभान्वित करने से पूर्व एक बार पुनः निम्नानुसार सत्यापित करा लिया जाए:—

1. सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता व बैंक के शाखा प्रबन्धक द्वारा संयुक्त रूप से लाभान्वित होने वाले कृषकों के ऋण खाते, अनुमन्य धनराशि, लाभार्थियों को जारी किए गए अंश—क व अंश—ख के चेकों की पुष्टता व लाभार्थी को दर्शाए जा रहे ऋण की सत्यता का परीक्षण अनिवार्य रूप से कर लिया जाए। उक्त के साथ—साथ लाभार्थियों के आधार व भूलेखों का भी शत—प्रतिशत सत्यापन सहायक विकास अधिकारी, सहकारिता एवं शाखा प्रबन्धक की टीम द्वारा सुनिश्चित कर लिया जाए।
2. सम्बन्धित तहसील प्रभारी/अपर जिला सहकारी अधिकारियों से उनके तहसील के कम से कम 25 प्रतिशत लाभार्थियो के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या—1 में उल्लिखित विवरण का सत्यापन इस प्रकार कराया जाए कि उनके तहसील के सभी ब्लाकों के लाभार्थी समान रूप से आच्छादित हो जाए।
3. जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सहकारिता तथा सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी द्वारा अलग—अलग न्यूनतम 10

प्रतिशत लाभार्थियों का सत्यापन इस प्रकार किया जाए कि उक्त लाभार्थियों के सत्यापन में सभी तहसीलों के लाभार्थी समान रूप से आच्छादित हो जाए, परन्तु इस स्तर के सत्यापन के लाभार्थी तहसील प्रभारी द्वारा सत्यापन किए गए लाभार्थियों से भिन्न रहेगें।

4. सम्बन्धित मण्डल के संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक/उप आयुक्त एवं उप निबन्धक द्वारा अपने मण्डल के कम से कम दो प्रतिशत लाभार्थियों के सम्बन्ध में बिन्दु संख्या–1 में उल्लिखित विवरण के अनुसार सत्यापन इस प्रकार किया जाएगा कि उक्त सत्यापन में मण्डल के सभी जनपदों के लाभार्थी समान रूप से आच्छादित हो जाएं एवं उक्त लाभार्थी अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक तथा सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से सत्यापित किये गये लाभार्थियों की सूची में सम्मिलित न हों।

5. जनपद के सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अपर जिला सहकारी अधिकारियों द्वारा उपरोक्तानुसार सत्यापन किये जाने के बावजूद भी यदि भविष्य में जनपद के किसी भी समिति में अपात्र कृषकों को उक्त योजना से लाभान्वित किये जाने का प्रकरण प्रकाश में आयेगा, तो उसके लिए सम्बन्धित सहायक विकास अधिकारी(सहकारिता) एवं शाखा प्रबन्धक के साथ ही साथ सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक, सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी तथा अपर जिला सहकारी अधिकारी को भी उत्तरदायी ठहराया जाएगा।

6. उपरोक्तानुसार सत्यापन किये जाने विषयक सहायक विकास अधिकारी(सह0) एवं शाखा प्रबन्धक तथा अपर जिला सहकारी अधिकारी के स्तर से दिया गया प्रमाण–पत्र सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक द्वारा संकलित किया जायेगा तथा सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक एवं सचिव/मुख्य कार्यपालक अधिकारी के स्तर से दिये गये सत्यापन प्रमाण–पत्र का विवरण सम्बन्धित मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक द्वारा संकलित करते हुए उसे विभाग की ई–मेल आई0डी0 पर भी अपलोड किया जाएगा तथा सभी सत्यापनों की एक प्रति जिला सहकारी बैंक के मुख्यालय व सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के कार्यालय के साथ ही साथ मण्डलीय कार्यालय में भी सुरक्षित रखा जाएगा।

7. उक्त योजनान्तर्गत पात्र कृषकों को पुनः फसली ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने से पूर्व सम्बन्धित कृषक से संलग्न प्रारूप पर

शपथ–पत्र भी समिति द्वारा प्राप्त किया जायेगा, जिसकी एक प्रति सम्बन्धित बैंक शाखा में भी सुरक्षित रखी जाएगी।

उक्त परिप्रेक्ष्य में यह भी उल्लेखनीय है कि यदि किसी जनपद में अपर जिला सहकारी अधिकारी की कमी के कारण निर्धारित लक्ष्य के अनुसार सत्यापन किए जाने में कोई अवरोध उत्पन्न होता है तो सम्बन्धित सहायक आयुक्त एवं सहायक निबन्धक के अनुरोध पर मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता द्वारा अपने कार्यालय के अपर जिला सहकारी अधिकारी, सहकारिता अथवा विषम परिस्थिति में किसी अन्य जनपद के अपर जिला सहकारी अधिकारी को लगा कर निर्देशानुसार सत्यापन का कार्य सुनिश्चित कराया जायेगा।

अतः निर्देशित किया जाता है कि उक्तानुसार अपेक्षित कार्यवाही समयबद्ध ढंग से सुनिश्चित कराते हुए ही लाभार्थियों को पुनः फसली ऋण आदि की सुविधा उपलब्ध करायी जाए, जिससे उक्त योजनान्तर्गत प्रेषित धनराशि के दुरूपयोग होने की सभी सम्भावनाए पूर्ण रूप से समाप्त हो जाए।

संलग्नक–यथोपरि।

(अजय चौहान)
आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

पत्रांक–C-98/ पी०ए०/अधिकोषण लखनऊः तद् दिनॉक।

प्रतिलिपिः– अधोलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त मण्डलीय संयुक्त आयुक्त एवं संयुक्त निबन्धक, सहकारिता, उ0प्र0।
2. प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0 कोआपरेटिव बैंक लि0, लखनऊ।

आयुक्त एवं निबन्धक,
सहकारिता, उ०प्र०
लखनऊ।

नॉन–एनपीए समाधान योजना हेतु शपथ–पत्र

यह कि मैं.....पुत्र / पुत्री / पत्नी श्री / श्रीमती ..... जनपद.....का / की निवासी हूँ।

मेरा स्थाई पता निम्नवत् है –

जनपद का नाम– .....

तहसील– .....

ब्लाक– .....

ग्राम– .....

मैं शपथ पूर्व बयान करता / करती हूँ कि :–

1. मेरा आधार संख्या– | | | | | | | | | | | | | | | | है।

2. यह कि मेरी उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि है और मैंने निम्न विवरण के अनुसार बैंकों से फसल हेतु ऋण लिया है–

क0सं0	जनपद का नाम	बैंक का नाम व पता	शाखा का नाम व पता	समिति का नाम व पता (केवल सहकारी बैंक हेतु)	ऋण खाता संख्या / केसीसी खाता संख्या	बचत खाता संख्या	भूमि का विवरण जिसके सापेक्ष ऋण लिया गया है।

3. यह कि पैरा–2 में उल्लिखित बैंक / ऋण खातो / केसीसी खातों के अतिरिक्त मेरा उत्तर प्रदेश में अन्य कोई फसल ऋण खाता नहीं है। यदि इस संबंध में कोई तथ्य प्रकाश में आता है तो मेरे द्वारा एनपीए समाधान योजना के अन्तर्गत प्राप्त किये गये लाभ की ब्याज सहित वसूली की जा सकेगी और असत्य सूचना देने हेतु मेरे विरूद्ध विधिक कार्यवाही की जा सकेगी।

शपथी

यह कि शपथ–पत्र के पैरा 1, 2 एवं 3 में मेरे द्वारा दी गयी सूचना मेरे निजी ज्ञान के अनुसार सही है और इसमें कोई तथ्य छिपाया नहीं गया है।

शपथी